

FORM NO. III

\* फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना ( अलवर )

किस्म मुकदमा

तृतीयेली

बनाम

कापिल

श्री ४५५ धारा ३१२ RTI Act

न०

९३

सन १८-५-१६

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।


18-5-16 आज यह पत्रावली मूल दादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र 212 RTI Act दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की एक फीस नहरा चुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथक मूल्यांकन में है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित प्रतीत है।

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रसेजा से आगामी दिनांक 24-8-16 तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजों खसरा नम्बर हाल 47, 70, 122, 227, 304, 313, 314, 415, 417, 486, 712, 804, 805,

कुल कितना 13 बाके ग्राम काठुवाल तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान के जज के आदेश की प्रथा के तहत बचाये रखे।

अदालत अदालत आदेश ताफैसला सम्पूर्ण कर दिया जाये। इस संलग्न में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अदालत जाकर अधिवक्ता हाजिर अदालत आफार अपना जवाब पेश करें। दस्तावेजों की प्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। दाद पत्रावली पत्रावली दिनांक 24-8-16 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या त अहकाम जो हुकम की त में जारी हु
18-8-25	<p>आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल वाड अफम पैरवी अफम दाजरी में खरीज हो चुका है। अतः डा अपत्र भी अफम दाजरी अफम पैरवी में खरीज किया जाता है। पत्रावली पैसल सुमार दोकर नोम्बर संकेत हो। वाड प्रॉ सौलभन मलवाड रहे।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपस्वण्ड अधिकारी</b>  <b>नीमराना (कोटपूतली-करोड़)</b> </p>	